

11. यह अनुमोदन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं०-870 (अ) दिनांक-13.09.2018 एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-RT-11036/82/2017-MVL दिनांक-01.05.2019 से आच्छादित है।
12. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-RT-11036/82/2017-MVL दिनांक-01.05.2019 की कंडिका-5 के आलोक में निबंधन प्राधिकार कस्टम ड्यूटी का भुगतान और Directorate General of Foreign Trade (DGFT) से मंजूरी प्राप्त होना सुनिश्चित करेंगे।
13. मोटरयान अधिनियम, 1968 की धारा 41 (6) के परंतुक एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-42 के आलोक में वाहन के विक्रेता द्वारा क्रेता को किसी नये वाहन की सुपुर्दगी बिना HSRP के नहीं की जायेगी।
14. माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन

15-2-24

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

11. यह अनुमोदन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं०-870 (अ) दिनांक-13.09.2018 एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-RT-11036/82/2017-MVL दिनांक-01.05.2019 से आच्छादित है।
12. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-RT-11036/82/2017-MVL दिनांक-01.05.2019 की कंडिका-5 के आलोक में निबंधन प्राधिकार कस्टम ड्यूटी का भुगतान और Directorate General of Foreign Trade (DGFT) से मंजूरी प्राप्त होना सुनिश्चित करेंगे।
13. मोटरयान अधिनियम, 1968 की धारा 41 (6) के परंतुक एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-42 के आलोक में वाहन के विक्रेता द्वारा क्रेता को किसी नये वाहन की सुपुर्दगी बिना HSRP के नहीं की जायेगी।
14. माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि:-Authorised Signatory : M/S SABOO TOR PVT. LTD., Trilokpur Road, Kala Amb, Distt.-Sirmaur Himachal Pradesh-173030 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : 1047

पटना, दिनांक : 16/2/2024

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को Vahan Software में प्रविष्टि करने/I.T. Manager, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15-2-24
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना